देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

Volume –2021/mmp/202 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 28 सितम्बर 2021

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ सेकंड ज़ोन मे अवैध निर्माणों की भरमार!!!

भाग-1

ज़ोन पीआरएन नॉर्थ सेकंड का रिपोर्ट कार्ड

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी "मैं ही राजा मैं ही मंत्री" की तर्ज पर बन रहे स्वयं निर्णायक!!!

क्षेत्र मे हो रहे अवैध निर्माणों को चिन्हिकरण की रिपोर्ट के लिए नहीं भेजते ज़ोन कार्यालय मे!!!

अधिकांश मामलों मे एक ही जवाब,भवन अनुज्ञा अथवा पुनर्विभाजन करवा कर किया जा रहा निर्माण, लेकिन ना तो संपर्क पोर्टल पर नक्शे उपलब्ध करवाते और ना ही सूचना के अधिकार के तहत!!

जिन इक्का दुक्का निर्माणों के नक्शे पास, उनमे भी तय नक्शो के विपरीत निर्माण!!!

पुनर्गठन और पुन:विभाजन करवाए गए भूखंडों मे भी भवन विनियमों का खुलेआम उल्लंघन!!!

कई प्रवर्तन अधिकारियों की अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत के चलते, जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय दिखा चुके उन्हे बाहर का रास्ता!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ सेकंड ज़ोन मे अवैध निर्माणों की भरमार!!!

ऐसे तो अवैध निर्माणों की पूरे शहर मे भरमार है लेकिन आज आपका ध्यान जेडीए के पीआरएन नॉर्थ सेकंड ज़ोन मे हो रहे अवैध निर्माणों की तरफ आकर्षित कर रहे है|सर्वे के अनुसार इस ज़ोन मे 150-200 निर्माण कार्य चल रहे है,जिनमे अधिकांश अवैध की श्रेणी मे आते है क्यूंकी कई तो बिना नक्शे पास करवाए बन रही है,कई बिना पुनर्गठन और बिना पुनर्विभाजन करवाए बन रही है|जिन बिल्डिंगों के नक्शे पास है वह भी नक्शो के अनुरूप नहीं बन रही है|जिन भूखंडो को पुनर्गठन और पुनर्विभाजन कर निर्माण करवाया जा रहा है उनमे भी भवन विनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है|ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि जेडीए का प्रवर्तन दस्ता इस और ध्यान क्यूँ नहीं दे रहा है|

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी "मैं ही राजा मैं ही मंत्री" की तर्ज पर बन रहे स्वयं निर्णायक!!!

आपको बता दें कि इस ज़ोन मे हो रहे अवैध निर्माणों पर कार्यवाई का दारोमदार श्री श्रीराम बड़ेसरा के ऊपर है लेकिन शायद ही किसी अखबार मे यह खबर छपी हो कि उनके ज़ोन मे प्रवर्तन शाखा ने कोई बड़ी कार्यवाही की है|शायद उनका बस गरीब और लाचार लोगो पर ही चलता है जिनकी थड़ियों,जुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ कर,यह महाशय अपने गाल बजा लेते है|सबसे बड़ी बात यह है कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज सैंकड़ों शिकायतों पर खुद ही मौके पर जाकर निस्तारण कर देते है,जबकि नियमनुसार ऐसे मामलों को चिन्हिकरण रिपोर्ट हेतु ज़ोन कार्यालय मे भेजना होता है|अधिकांश मामलों मे उनके द्वारा एक ही जवाब दिया जाता है कि भवन अनुज्ञा अथवा पुनर्विभाजन/पुनर्गठन करवा कर निर्माण किया जा रहा |लेकिन वह ना तो संपर्क पोर्टल पर नक्शे उपलब्ध करवाते और ना ही सूचना के अधिकार के तहत|अवैध निर्माणों की सूचना मांगने पर पहले तो यह महाशय किसी वकील से तैयार करवाया एक रटा-रटाया जवाब पकड़ा देते थे लेकिन आजकल तृतीय पक्ष की आड़ और अन्य मनगड़ंत बहानों का सहारा लेकर, सूचना देने से इंकार कर देते है|इस प्रकार इन महाशय द्वारा अपनी जवाबदेही पर पूर्णतया ताला लगाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है|

> आप द्वारा जविप्रा विनियम 2020 की धारा–15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें सम्बन्धित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।

जेडीए द्वारा मानचित्र अनुमोदन पत्र मे लिखी शर्त जिसके तहत प्रत्येक निर्माणकर्ता को अनुमोदित नक्शो की प्रति और संबन्धित ज़ोन के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी के संपर्क सूत्र मौके पर बोर्ड लगाकर देनी होगी,लेकिन पीआरएन ज़ोन मे चल रहे निर्माण कार्यों पर इस शर्त की पालना कतई नहीं की जाती|उल्टा ना तो संपर्क पोर्टल पर नक्शे उपलब्ध करवाये जाते है और ना ही सूचना के अधिकार के तहत

क्षेत्र मे हो रहे अवैध निर्माणों को चिन्हिकरण की रिपोर्ट के लिए नहीं भेजते ज़ोन कार्यालय मे!!!

सबसे बड़ी बात यह है कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज सैंकड़ों शिकायतों पर खुद ही मौके पर जाकर निस्तारण कर देते है|जबकि होना यह चाहिए कि इन शिकायतों को चिन्हिकरण के लिए ज़ोन कार्यालय मे भेजना होता है,जहां पर ज़ोन का एटीपी और जेईएन भवन विनियमों के अनुरूप यह रिपोर्ट तैयार करते है कि उक्त निर्माण अवैध है या नहीं|ततपश्चयात उसे अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रवर्तन शाखा भेज दिया जाता है|

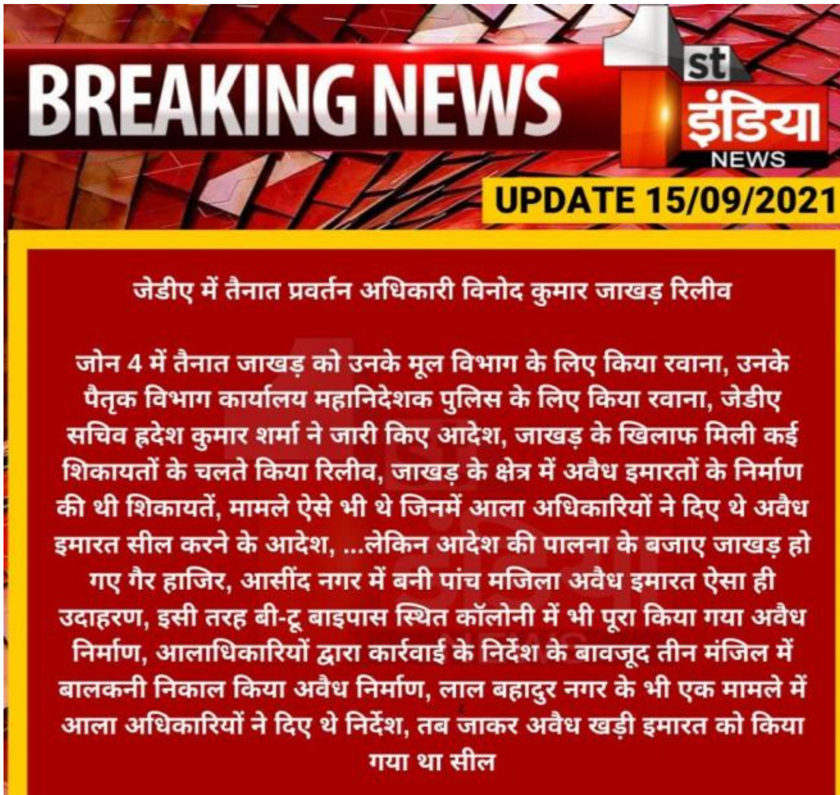

कई प्रवर्तन अधिकारियों की अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत के चलते,जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय दिखा चुके उन्हे बाहर का रास्ता!!!

आपको बता दें कि जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक पद पर काबिज श्री रघुवीर सैनी को उनके उच्च आदर्शों के लिए जाना जाता है|अपने उच्च आदर्शों के कारण उन्हे प्रवर्तन विभाग के काम मे कोताही और अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं है|जिसके चलते वह कई प्रवर्तन अधिकारियों को उनके मूल विभाग मे भेज चुके है|हाल ही मे उन्होने काम मे कोताही के चलते ज़ोन 4 मे तैनात विनोद जाखड़ को रवाना किया है|

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी मामले मे दर्ज की गयी जन हित याचिका मे दिये गए विस्तृत आदेशों की उड़ रही खुलेआम धज्जियां|

वर्ष 2017 मे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी मामले मे दर्ज की गयी जन हित याचिका मे दिये गए विस्तृत आदेशों मे स्पष्ठ किया है कि अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर कार्यवाही के लिए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी|अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर कार्यवाही मे किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी|लेकिन इसके बावजूद ज़ोन के अधिकारी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को बचाकर माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे है|

सुप्रीम कोर्ट मानता है अवैध निर्माणों को शहरों के सुनियोजित विकास मे बाधा,सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अवैध निर्माण नासूर

अपने कई निर्णयों मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध निर्माणों को शहरों के सुनियोजित विकास मे बाधा मानकर इसे नासूर करार दिया है|लेकिन इसके बावजूद नगरीय निकाय लगातार अवैध निर्माणों के प्रति उदासीनता बरत रहे है|

जेडीए मे प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस के इंस्पेक्टरों का दोहरा रवैया,पुलिस प्रणाली मे जहां अवैध कामों की सूचना देने वाला मुखबिर वहीं जेडीए मे अवैध निर्माणों की सूचना देने वाला आदतन शिकायती

जेडीए की प्रवर्तन शाखा मे जयपुर पुलिस के इंस्पेक्टरों की तैनातगी की जाती है|पुलिस थानों मे गलत कामो की सूचना देने के लिए स्थानीय स्तर पर मुखबिर तंत्र विकसित किया जाता है|जो इलाके मे होने वाली किसी वारदात की जानकारी देकर अपराध को रोकने मे सहायक होते है,या फिर अपराधियों को पकड़वाने मे सहायक होते है|लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेडीए मे अवैध निर्माणों की जानकारी देने वाले को आदतन शिकायती जैसी शब्दावली से नवाजा जाता है|

पीआरएन ज़ोन मे हो रहे अवैध निर्माणों पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कार्यवाही करने की बजाय,अवैध निर्माणों को बचाने के लिए दिये गए तथ्यहीन,अतार्किक, जवाबो की बानगी|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910676595 / 09-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	1,नवल विहार, पांचयावाला,सिरसी रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	पुराना मकान को तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है	
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति 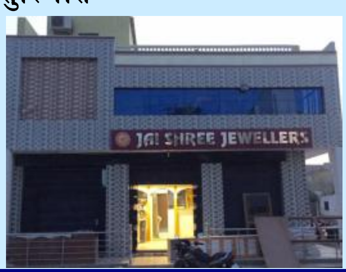	बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना पार्किंग छोड़े,सेटबेक पर निर्माण किया गया है और किसी भी दृष्टि से आवासीय निर्माण नही है,पूरी तरह से व्यवसायिक निर्माण है ,पूर्व मे भी श्री जय श्री ज्वेलर्स नामक शोरूम का संचालन किया जा रहा था|जिसे पूरी तरह तोड़कर भव्य निर्माण कर,और बड़ा शोरूम बनाया जा रहा है|अधिकारी के जवाब से स्पष्ट है कि मामले मे अपने आला अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	092114910916328 / 10-09-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-फ़र्स्ट
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति वीला का निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	बी-1 से बी– 7,गणेश नगर 22-बी ब्लॉक,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	अनुमोदित मानचित्र के अनुसार निर्माण किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	अनुमोदित मानचित्र का कथन कर अधिकारी मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर रहे है क्यो कि ज़्यादातर भूखंड सबडिविजन करवाकर 100 – 100 गज मे बिना सेटबेक छोड़े निर्माण किए गए है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	092114910916467 / 06-09-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-फ़र्स्ट
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति वीला का निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	बी-11 से बी– 12,गणेश नगर 22-बी ब्लॉक,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	अनुमोदित मानचित्र के अनुसार निर्माण किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	दो अलग-अलग भूखंड है दोनों को बिना पुनर्गठन करवाए साइड सेटबेक का उलंघन करके एक कतार मे ड्यूपलेक्स वीला का निर्माण किया जा रहा है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	092114910871242 / 04-09-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-फ़र्स्ट
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति वीला का निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	142, तीजा नगर,गली न.-3,सिरसी रोड, जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	१००० गज का प्लाट है जिसमे मकान का निर्माण किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	श्रीमान जी, 1000 गज के मकान को बनाने के लिए भी भवन निर्माण, जेडीए. की स्वीकृति जरूरी है वैसे यह भूखंड तो 418.33 sq. का ही है यदि अन्य भूखंड को जोड़ा है तो पुनर्गठन और स्वीकृति होनी चाहिए जो नही है अत: सम्पूर्ण निर्माण ही अवैध है कार्यवाही करनी चाहिए|

प्रकरण:-5

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910675631 / **09-08-2021**
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	67 बी, रजनी विहार,अजमेर रोड, जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	मौका देखा गया आवासीय मकान का निर्माण नियमानुसार किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	बालकनी का निर्माण रोड प्रोजेक्शन मे है एवं तीनों तरफ चरपेटा है अतः निर्माण नियमानुसार नही है

प्रकरण:-6

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910675153 / 09-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	84,हनुमान वाटिका-1, 200 फीट बाईपास, जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	जेडीए से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार निर्माण किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	यदि नक्शे स्वीकृत है तो नक्शे क्यूँ उपलब्ध करवाए जा रहे है?स्वीकृत नक्शे से ज्यादा मंजिलों का निर्माण किया जा रहा है एवं साइड सेटबेक का उलंघन किया जा रहा है प्रवर्तन अधिकारी महोदय स्वीकृति का नाम लेकर अवैध मंजिल को संरक्षण दे रहे है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910676554 / 09-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	237,हीरा नगर ए, धाबास रोड,200 फुट बाईपास
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	धारा ३२,३३ के नोटिस जारी किये जाकर निर्माण बंद करवाया गया कारवाही प्रक्रियाधीन है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	नोटिस के बावजूद भी निर्माणकर्ता ने काम करवाकर दूसरी मंजिल का भी निर्माण करवा लिया इ.ओ. साहब नोटिस देकर अपनी डयूटी से पल्ला नही झाड सकते|आखिर इसे सील करने की कार्यवाही क्यूँ नहीं की जा रही?

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910684657 / 10-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	65-66,विकास नगर बी,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	मौका देखा गया अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही निर्माण किया जा रहा है कोई अवैध निर्माण नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	प्रवर्तन अधिकारी ना तो मानचित्रों की प्रति उपलब्ध करवा रहे है|और ना ही ज़ोन कार्यालय मे चिन्हिकरण हेतु पत्रावली भेज रहे है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910684624 / 10-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	67 विकास नगर बी,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	मौका देखा गया अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही निर्माण किया जा रहा है कोई अवैध निर्माण नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	पूर्णतया आवासीय कॉलोनी है व्यवसायिक उपयोग हेतु बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम का निर्माण किया जा रहा है तथा सेटबेक्स का उलंघन कर अवैध निर्माण किया गया हैं प्रवर्तन अधिकारी गुमराह पूर्ण जवाब पेश कर अवैध व्यवसायिक निर्माण कर्ता को शह दे रहे है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910684572 / 10-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	159,जगदम्बा नगर-ए,हीरापुरा पावर हाउस के पीछे,अजमेर रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	नियमानुसार आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	आस-पास अधिकतर अवैध बहुमंजिला इमारते निर्मित है|इस बिल्डिंग के निर्माण से ही प्रतीत होता है कि यहाँ पर भी बहुमंजिला अवैध बिल्डिंग का निर्माण होगा|गलत जवाब देकर प्रवर्तन अधिकारी अवैध निर्माणकर्ता को शह दे रहे है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910684704 / 10-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	242,रजनी विहार,अजमेर रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	नियमानुसार आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	बिना सबडिविजन करवाए एक भूखंड मे दो डुप्लेक्स विला का बिना प्रोपर सेटबेक छोड़े अवैध निर्माण किया जा रहा है ,अधिकारी आवासीय बता कर गुमराह कर रहे है।

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910684789 / 10-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	264,रजनी विहार,अजमेर रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	नियमानुसार आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	बिना सक्षम स्वीकृति के आवासीय भूखंड मे व्यवसायिक शौरूम का निर्माण किया जा रहा है जो की पूर्णतया अवैध है | प्रवर्तन अधिकारी महोदय के कथनानुसार कॉलोनी निवासियों को आपत्ति नही है इस संदर्भ मे महोदय की जानकारी हेतु बताना चाहूँगा कि नियमानुसार मकान निर्माण की एनओसी जेडीए जारी करता है कॉलोनीवासी नही |माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टोलरेंस पोलेसी का आदेश पारित है कृपया उसका सम्मान करे |

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910684763 / 10-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	398,रजनी विहार,अजमेर रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	नियमानुसार आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	बिना सक्षम स्वीकृति के,बिना सेटबेक छोड़े, आवासीय/व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है जो की पूर्णतया अवैध है | प्रवर्तन अधिकारी महोदय के कथनानुसार कॉलोनी निवासियों को आपत्ति नही है तो महोदय की जानकारी बताना चाहूँगा कि नियमानुसार मकान निर्माण की एनओसी जेडीए जारी करता है कॉलोनीवासी नही |माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टोलरेंस पोलेसी का आदेश पारित है कृपया उसका सम्मान करे |

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910697164 / 12-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	33-34,चंद्रा नगर विस्तार,सी.एम.चाइल्ड हॉस्पिटल के सामने वाली
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	सबडिविजन करवाकर आवासीय मकान का निर्माण किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	यदि सबडिविजन करवा लिया गया है तो उसकी प्रति क्यूँ नहीं उपलब्ध करवा रहे|फोटो से साफ है कि सेटबेक् नियमों का उलंघन कर निर्माण किया है जो की अवैध निर्माण की श्रेणी मे आता है	

प्रकरण:-15

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910697224 / 12-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-फ़र्स्ट
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	सी-26,जगदम्बा नगर,बजरंग द्वार,कालवाड़ रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	मौका देखा गया काफी पुराना निर्माण मरम्मत का काम किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	आवासीय भूखंड मे बिना स्वीकृति व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है|फोटो से स्पष्ट है कि ये निर्माण बिलकुल नया है अधिकारी अवैध निर्माणकर्ता को बचाते हुए गुमराह करने वाला जवाब दे रहे है

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910798934 / 25-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	18,18-ए,माँ करनी नगर-इ, करनी पेलेस रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	मौका देखा गया भूखंड खाली पड़ा है कोई निर्माण नहीं मिला
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	यदि अधिकारी द्वारा मौका देखा गया है तो यह मकान उन्हे क्यूँ नहीं दिखा?अधिकारी क्यूँ अवैध निर्माणकर्ता का पक्ष ले रहे है?जानकारो के अनुसार यह बिल्डिंग एक रसुखदार की है जिसे बचाने के लिए अधिकारी द्वारा नए नए बहाने बनाए जा रहे है|

प्रकरण:-17

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910765529 / 08-09-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	54,विकास नगर,हीरापुरा,200 फीट बाईपास,मोर्डन गुरुकुल स्कुल के पास
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	प्रवर्तन अधिकारी क्यूँ नहीं बता रहे कि यह बिल्डिंग वैध है या अवैध?

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910709793 / 13-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	80,पवनपुत्र विस्तार,बजरी मंडी रोड,वैशाली मार्ग (वेस्ट), नियर लवपुरा
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	सेटबैक छोड़कर १ दूकान का निर्माण किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	आवासीय कॉलोनी के आवासीय भूखंड मे पूर्णतया व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है यह जानने के बावजूद प्रवर्तन अधिकारी इस पर कार्यवाही क्यूँ नहीं कर रहे है?

प्रकरण:-19

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910709713 / 13-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	88,89,90 हस्तिनपुर मेन (साउथ) करनी पेलेस रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	नोटिस जारी किये जा चुके है कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	नोटिस जारी होने के बावजूद काम कैसे चल रहा है?यदि यह अवैध इमारत बन गयी और इसके फ्लेट,दुकाने बिक गयी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910709774 / 13-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नार्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	डी-315,जगदम्बा नगर-डी, गणपती पेलेस के पास,80 फीट रोड,धाबास,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	मौका देखा गया पुरानी दूकान की मरम्मत की जा रही है कोई अवैध निर्माण नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	प्रवर्तन अधिकारी महोदय की नज़रेइनायत के लिए उपरोक्त फ़ोटो शिकायत के साथ संलग्न की थी ताकि महोदय को मरम्मत और निर्माण मे अंतर पता चल सके |साफ है कि यह अवैध निर्माण प्रवर्तन अधिकारी से मिलीभगत कर करवाया जा रहा है|

प्रकरण:-21

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910748151 / 16-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नॉर्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	3,जीवन विहार, हीरापुरा, 200 फीट बाईपास,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	मौका देखा गया नियमानुसार आवासीय निर्माण किया जा रहा है कोई अवैध निर्माण नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	फोटो से स्पष्ट है कि यहा पर बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है|प्रवर्तन अधिकारी के जवाब से साफ है कि यह अवैध निर्माण प्रवर्तन अधिकारी से मिलीभगत कर करवाया जा रहा है|

प्रकरण:-22

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910748081 / 16-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नॉर्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	सी-126,अयोध्या नगर-सी ब्लॉक-सी,लालरपुरा,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	पुराना २ मंजिला निर्माण किया हुआ है जो आवासीय निर्माण है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	श्रीमान जी ने लगता हे कोई दूसरा भवन देख लिया,हमारी सूचना मे फोटो संलग्न की गयी है और मौके पर बिलकुल नया निर्माण हो रहा है |प्रवर्तन अधिकारी के जवाब से साफ है कि यह अवैध निर्माण प्रवर्तन अधिकारी से मिलीभगत कर करवाया जा रहा है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	082114910748366 / 18-08-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नॉर्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	68-ए, हनुमान नगर-ई,वैशाली मार्ग, लोहिया कॉलोनी के सामने जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	पुराना २ मंजिला निर्माण किया हुआ है जो आवासीय निर्माण है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	श्रीमान जी ने लगता हे कोई दूसरा भवन देख लिया,हमारी सूचना मे फोटो संलग्न की गयी है और मौके पर बिलकुल नया निर्माण हो रहा है |प्रवर्तन अधिकारी के जवाब से साफ है कि यह अवैध निर्माण प्रवर्तन अधिकारी से मिलीभगत कर करवाया जा रहा है|

प्रकरण:-24

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	092114910871325 / 04-09-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नॉर्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	213 व 213-ए,जगदम्बा नगर-ए,धावास रोड,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	अनुमोदित मानचित्र अनुसार अलग अलग भूखंडो पर नियमानुसार निर्माण किया जा रहा है परिवादी आदतन शिकायतकर्ता है जो बार बार शिकायते कर रहा है परिवादी का परिवाद स्थल से कोई लेना देना नहीं है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	महोदय बिल्डर द्वारा सुनियोजित तरीके से दो अलग अलग बिल्डिंगों के नक्शे पास करवाए है,लेकिन बिल्डर द्वारा दोनों बिल्डिंगों पर स्वीकृत निकायो से अधिक कुल 8 फ्लेटो का निर्माण किया गया है जो कि भवन निर्माण स्वीकृति का उल्लंघन है|प्रवर्तन अधिकारी बिल्डर को लाभ पहुचाने के लिए उट-पटांग जवाब देकर परिवाद को बंद करने की कोशिश कर रहे है|

1	शिकायत पंजीकरण / दिनांक	092114910871383 / 04-09-2021
2	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन पीआरएन नॉर्थ-सेकंड
3	संभावित गतिविधि/शिकायत	बिना सक्षम अनुमति व्यवसायिक निर्माण
4	संबन्धित ज़ोन भूखंड का पता	ए-21 व 22, मोहित कॉटेज,रजनी विहार,जयपुर
5	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री श्रीराम बड़ेसरा
6	अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब	जेडीए से अनुमोदित मानचित्र अनुसार निर्माण किया जा रहा है
7	हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट /वस्तुस्थिति	आवासीय मल्टी स्टोरी फ्लेट्स का निर्माण करवाया जा रहा है जिसमे सेटबेक्स का उलंघन किया गया है|यदि नक्शे स्वीकृत है तो उनकी प्रति क्यूँ नहीं उपलब्ध करवाए जाते?

जेडीए के अन्य ज़ोनो और इस ज़ोन मे हो रहे अन्य अवैध निर्माणों का लेखा-जोखा अगले अंक मे जारी........................

किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका,न्यूज चेनल मे इस विशेष रिपोर्ट के प्रकाशन से पूर्व पोर्टल की आधिकारिक अनुमति आवश्यक है|